

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1930
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

तमिलनाडु में भारतनेट

1930. श्री मलैयारासन डी.:

डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु सहित देश भर में राज्यवार भारतनेट से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या सहित भारतनेट परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) भारतनेट के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य और सभी ग्राम पंचायतों को पूर्ण कवरेज प्रदान करने की समय-सीमा क्या है;
- (ग) तमिलनाडु में भारतनेट के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां और उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं;
- (घ) तमिलनाडु में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार और निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा भारतनेट अवसंरचना के उपयोग की सीमा क्या है;
- (ङ) इस योजना के तहत तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम-मील संपर्क और किफायती इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (च) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, विशेषकर तमिलनाडु में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार में आने वाली चुनौतियां क्या हैं; और
- (छ) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) देशभर में दिनांक 31.12.2025 तक चरण-I और चरण-II सहित भारतनेट परियोजना के तहत कुल 2,14,904 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया

है जिसमें तमिलनाडु की 10,869 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। तमिलनाडु में भारतनेट चरण-II का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत जोड़ी गई ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

(ग) से (छ) तमिलनाडु सहित देशभर में भारतनेट के कार्यान्वयन में मार्ग का अधिकार संबंधी मुद्दे, विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी, विकास कार्यों के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की क्षति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ योजना बनाकर समन्वय किया जा रहा है। भारतनेट के अंतर्गत सृजित अवसंरचना जैसे फाइबर टू दी होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, वाई-फाई हॉटस्पॉट, लीज्ड लाइन, डार्क फाइबर, मोबाइल टावर को बैकहॉल आदि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छित परिवारों और संस्थाओं को डिजिटल भारत निधि से वित्तपोषण सहायता के साथ एबीपी के अंतर्गत भारतनेट उद्यमी (बीएनयू) मॉडल के माध्यम से मांग के आधार पर एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुबंध-I

भारतनेट परियोजना के तहत जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की संख्या का राज्य-वार विवरण
(31.12.2025 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सेवा प्रदान करने के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायतों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	72
2	आंध्र प्रदेश	12955
3	अरुणाचल प्रदेश	1124
4	असम	1507
5	बिहार	8340
6	चंडीगढ़	12
7	छत्तीसगढ़	9695
8	दादरा और नगर हवेली	20
9	दमन और दीव	18
10	गोवा	0
11	गुजरात	14320
12	हरियाणा	6082
13	हिमाचल प्रदेश	410
14	जम्मू और कश्मीर	1101
15	झारखंड	4390
16	कर्नाटक	6084
17	केरल	978
18	लद्दाख	193
19	लक्षद्वीप	9
20	मध्य प्रदेश	17850
21	महाराष्ट्र	24575
22	मणिपुर	1475
23	मेघालय	698
24	मिजोरम	540

25	नागालैंड	236
26	ओडिशा	6785
27	पुडुचेरी	98
28	पंजाब	12668
29	राजस्थान	8776
30	सिक्किम	35
31	तमिलनाडु	10869
32	तेलंगाना	10833
33	त्रिपुरा	740
34	उत्तर प्रदेश	46746
35	उत्तराखंड	1993
36	पश्चिम बंगाल	2677
	कुल	214904